न्यायालय :– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाड़ोल (फ.)

जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जफर अहमद कुरेशी, (आर.जे.एस.)

प्रकरण संख्या :– 413/2017 रे.फौ.
एफ.आई.आर. संख्या :– 10/2017, **थाना झाडोल**
सी.आई.एस. नंबर :– 413/2017
सी.एन.आर. नम्बर :– RJUD19000 933 2017

01– राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी **–अभियोगी**

विरूद्ध

01– भीमराज पिता हुका, उम्र 45 साल, निवासी भीलवाडा फला बिछीवाडा थाना फलासिया जिला उदयपुर (राज.)
02– कालुलाल पिता नाना, उम्र 32 साल, निवासी भीलवाडा फला बिछीवाडा थाना फलासिया जिला उदयपुर (राज.) **–अभियुक्तगण**

अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं.
एवं धारा 39/192,146/196 एमवी एक्ट
(पांच वर्ष से अधिक पुराना लंबित प्रकरण)

1. अभियोजन अधिकारी – अभियोजन पक्ष
2. श्री कैलाश चन्द्र कलासुआ – अधिवक्ता अभियुक्त।

–:: निर्णय ::– **दिनांक 10.03.2026**

01– प्रकरण मे सुसंगत संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी केशुलाल (पी.ड.1) ने थाना झाडोल में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी01) इस आशय की पेश की कि उसकी बच्ची महीमा विद्या निकेतन स्कुल झाडोल मे पढाई कर रही है व सरकारी क्वार्टर झाडोल मे रहती है। शाम को 7:30 बजे के आसपास पानी कोर्ट चौराहा से पानी पतासे खाकर वापस क्वार्टर पर जा रही थी। आजाद ग्राउण्ड के सामने रोड पर कोर्ट चौराहा की तरफ से मैक्स जीप नं. जीजे 1 आरजी 4134 के चालक द्वारा गफलत, लापरवाही पुर्वक जीप को चला उसकी बच्ची के साथ एक्सीडेंट कर टक्कर मारी जिससे बच्ची के पैर पर गंभीर चोट आई है। उस समय वह तथा उसकी पत्नि भी साथ थे। उसकी बच्ची होस्पीटल झाडोल मे है। इत्यादी........।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना झाडोल द्वारा एफआईआर संख्या 10/2017 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस द्वारा अभियुक्त भीमराज के विरुद्ध

अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. एवं धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट तथा अभियुक्त कालुलाल के विरूद्ध अपराध धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

02— पुलिस द्वारा पेश आरोपपत्र के बाद अवलोकन व सुनवाई प्रकरण मे अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. एवं धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को विधीक प्रावधानानुसार आरोप पत्र की सुपाठ्य नकल निःशुल्क दिलाई गई।

03— तत्पश्चात अभियुक्त भीमराज को अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं. सं. एवं 39/192, 146/196 एमवी एक्ट तथा अभियुक्त कालुलाल को अपराध धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट के तहत अपराध की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्तगण ने आरोप सारांश सुन व समझकर अपराध से इंकार कर कर अन्वीक्षा चाही।

04& lk{; vfHk;kstu es fuEu xokg dks ijhf{kr fd;k x;k&

क.सं.	साक्षी सं.	साक्षी का नाम	विवरण
01	P.W. 01	केशुलाल	प्रार्थी व चश्मदीद साक्षी
02	P.W. 02	श्रीमती कंचन देवी	चश्मदीद साक्षी
03	P.W. 03	सुश्री महिमा	आहता
04	P.W. 04	रघुवीर सिंह	अनुसंधान अधिकारी
05	P.W. 05	माधुलाल	नक्शा मौका मौतबीर
06	P.W. 06	रामलाल	नक्शा मौका मौतबीर
07	P.W. 07	डॉ. हरिओम	चिकित्सीय विशेषज्ञ
08	P.W. 08	सोहनलाल	फर्द जब्ती वाहन साक्षी
09	P.W. 09	शान्तीलाल	फर्द जब्ती वाहन साक्षी
10	P.W. 10	नाहरसिंह	मैकेनिकल मुआयना कर्ता

05& vfHk;kstu dh vksj ls fuEu nLrkost iznf'kZr djok;s x;s&

S.No.	Exhibit No.	Description of Exhibit	Prove by /Attested by
01	प्रदर्श पी 01	एफआईआर	पी.ड.1,
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर	पी.ड.2, 4
03	प्रदर्श पी 03	नक्शा मोका घटनास्थल	पी.ड.1,,5 व 6
04	प्रदर्श पी 04	आहत महिमा की आईआर	पी.ड.4 व 7
05	प्रदर्श पी 05	आहत की एक्सरे प्लेट	पी.ड.4
06	प्रदर्श पी 06	फर्द जब्ती जीजे1 आरजी 4134	पी.ड.4,8 व 9
07	प्रदर्श पी 07	धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस	पी.ड.4
08	प्रदर्श पी 08	धारा 134 एमवी एक्ट नोटिस	पी.ड.4

09	प्रदर्श पी 09	मैकेनिकल मुआयना रिपोट	पी.ड.4,10

06– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.सं./351 बीएनएसएस 2023 के प्रावधानानुसार परीक्षित किया गया। अभियुक्तगण को अभियोजन द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में एक एक कर प्रश्न पूछा गया तो **अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए गवाह द्वारा झूठ बोलने और निर्दोष होकर कोई अपराध कारित नहीं करने का कथन किया।**

07– अभियुक्तगण को साक्ष्य प्रतिरक्षा हेतु अवसर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया। प्रतिरक्षा मे कोई साक्षी पेश नहीं किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य मे पुलिस बयान गवाह श्रीमती कंचन देवी प्रदर्श डी1 प्रदर्शित कराया गया है।

08– बहस अंतिम सुनी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि अभिलेख पर पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दिनांक 19.01.2017 को शाम 7:30 बजे के करीब अभियुक्त भीमराज द्वारा आजाद ग्राउण्ड झाडोल के सामने आम रोड पर वाहन मैक्स जीप क्रमांक जीजे 01 आरजी 4134 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाना और तद्दारा प्रार्थी की पुत्री के टक्कर लगने से दुर्घटना होना और उक्त दुर्घटना मे आहता महिमा के बांये पैर के अंगुठें मे गंभीर व साधारण चोट कारित होना प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा बर वक्त दुर्घटना अभियुक्त भीमराज की चालक के रूप मे पहचान की है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने सेः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध बाबत दोषसिद्ध घोषित करने का निवेदन किया।

09– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि घटना के संबंध मे गवाहन के कथनो मे गंभीर विरोधाभास है जो घटना को संदेहास्पद बनाता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी पी.ड.1 ने चालक को पहचान सकना और मुलजिम को पकडकर पुलिस को सुपुर्द करना बताया है। जबकी प्रथम सुचना रिपोर्ट मे यह तथ्य अंकीत नहीं है कि मौके पर प्रार्थी द्वारा चालक अभियुक्त को देखा गया हो और चालक को पकड कर पुलिस को सुपुर्द किया गया हो। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की शिनाख्तगी परेड नहीं कराई गयी है जिससे न्यायालय मे प्रथम बार फोटो द्वारा पहचान संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा की चश्मदीद पी.ड.2 ने चालक का नाम नहीं जानने और न ही पहचान सकना बताया है। आहता पी.ड.3 ने चालक भीमराज होना बताया है लेकीन प्रतिपरीक्षा मे जीप के नंबर व चालक का नाम लोगो द्वारा बताने का कथन किया है लेकीन ऐसे किसी व्यक्ति को बतौर साक्षी पेश नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क रहा कि साक्ष्य अभियोजन से चालक की लापरवाही व उपेक्षा भी प्रमाणित नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण

को आरोपित अपराध बाबत दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

10– दौराने बहस पेश तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि :– (क) ''क्या अभियुक्त भीमराज द्वारा दिनांक 19.01.2017 को शाम 7:30 बजे के आजाद ग्राउण्ड झाडोल के सामने आम रोड पर वाहन मैक्स जीप क्रमांक जीजे 01 आरजी 4134 को ऐसे उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से चलाया की मानव जीवन संकटापन्न कारित हो गया तद्द्वारा प्रार्थी की पुत्री के टक्कर लगने से बांये पैर के अंगुठे मे गंभीर चोट व साधारण उपहति कारित हुई है और वक्त दुर्घटना उक्त वाहन का वैध पंजीकरण और बीमा नहीं था?

(ख) यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र है?

11–. प्रकरण मे अवधार्य बिन्दु के संबंध मे अभियोजन द्वारा पेश मौखीक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो प्रार्थी <u>पी.ड.1 केशुलाल</u> ने दिनांक 19.01.2017 को वह व उसकी पत्नि कंचन देवी व पुत्री महिमा तीनों गणेश जी के मन्दिर के पास से पानी पतासी खाने के बाद वापस घर जा रहे होने तब आजाद ग्राउण्ड के पास मैक्स गाडी जिसके पीछे के नम्बर 4134 थे जिसके चालक को वह शक्ल देखकर पहचान सकने का कथन किया। मुलजिम के मुचलके पर एक्स स्थान पर मुलजिम के फोटो को देखकर चालक की सही पहचान की। गवाह ने आगे कथन किया कि शायद वह शराब के नशे में था। गाडी सवारियों से ओवरलोड भी थी जो चालक से सम्भल नहीं रही थी और गाडी स्पीड से चल रही थी। हम आगे चल रहे थे पीछे से गाडी आई जिसने उसकी बच्ची महिमा को टक्कर मारी दी जिससे उसकी बच्ची का पैर टूट गया व उसकी अंगुली व अंगुठा भी फ्रेक्चर हो गया। फिर बच्ची को अस्पताल ईलाज के लिए लेकर गया। फिर मुलजिम को पकड़कर पुलिस को सुपूर्द किया। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 व उसकी निशादेही से पुलिस ने नक्शा मौका मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 03 है। इन सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपरीक्षा मे कथन किया कि प्रदर्श पी3 पर हस्ताक्षर मौके पर किये। यह गलत है कि बच्ची के लगते ही वह अस्पताल लेकर गया हो बल्कि अन्य लोग लेकर गये। यह गलत है कि वह, उसकी पत्नि आगे चल रहे हो और पीछे उसकी पुत्री महिमा हो बल्कि उसने पुत्री का हाथ पकड रखा था। गाडी लहराते हुए चल रही थी। यह सही है कि गाडी की तकनीकी खराबी से लहराई हो और एक्सीडेंट हो गया हो तो वह नहीं बता सकता।

12– चश्मदीद साक्षी <u>पी.ड.2 कंचनदेवी</u> ने दिनांक 19.01.2017 को वह व उसका पति केशुलाल व पुत्री महिमा तीनों पैदल पैदल गणेश जी के मन्दिर के पास से पानी पतासी खाने के बाद वापस घर जा रहे होने तभी आजाद ग्राउण्ड

के पास पीछे से एक बोलेरो गाडी आने और पुत्री महिमा के टक्कर मारने जिससे बच्ची के दाहिने पैर का अंगुठा व अंगुली कट जाने का कथन किया। गवाह ने यह भी कथन किया कि बोलेरो तेज चल रही थी। दुर्घटना के पश्चात हम बच्ची को लेकर झाड़ोल सरकारी अस्पताल में लेकर गए थे जहाँ से उदयपुर प्राईवेट अस्पताल में लेकर गए थे। जीप चालक की गलती से यह दुघ र्टना हुई।

प्रतिपरीक्षा मे कथन किया यह सही है कि घटना के वक्त उसने चालक को नहीं देखा था और न ही गाडी नंबर देखे थे। घटना के वक्त अंधेरा हो गया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी1 मे गाडी के नबंर नहीं बताये थे।

13– आहता पी.ड.3 सुश्री महिमा ने दिनांक 19.01.2017 को वे पानी पूरी खाकर वापस कमरे पर जा रहे होने तथा उसके साथ उसकी माता जी, पिता जी, दीदी व भैया भी साथ में होने और समय शाम को करीब 7 बजे के आसपास कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे सफेद कलर की जीप ने पीछे से टक्कर मार देने जिससे उसके बॉए पैर की अंगुठा व अंगुली कट जाने का कथन किया। गवाह ने यह भी कथन किया कि जीप के नम्बर 3134 थे। जीप को भीमराज नामक व्यक्ति चला रहा था। जीप लहराती हुई तेजगति से चल रही थी। दुर्घटना जीप चालक की गलती से हुई थी। उसके शरीर पर आई चोटों की डॉक्टरी करवाई थी। एक्सरा भी करवाया था जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिपरीक्षा मे कथन किया कि वे पैदल चल रहे थे जीप वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। यह सही है कि एक्सीडेंट के वक्त जीप वाला भाग गया जिसे आगे चलकर पकड लिया था। जीप के नंबर व चालक का नाम लोग बता रहे थे जिसका नाम उसे याद नहीं है। यह सही है कि जीप की तकनीकी खराबी से एक्सीडेंट हो गया हो तो वह नहीं बता सकती।

14– पी.ड.5 माधुलाल व पी.ड.6 रामलाल नक्शा मौका घटनास्थल के मौतबीर है जिन्होने पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर नक्शा मौका बनाने जो प्रदर्श पी3 पर स्वंय के हस्ताक्षर होने का कथन किया। दोनो ही गवाहन ने प्रतिपरीक्षा मे प्रदर्श पी3 पर हस्ताक्षर थाने मे खाली कागजो पर करना बताया।

15– फर्द जब्ती जीप प्रदर्श पी6 के मौतबीर पी.ड.08 सोहनलाल व पी.ड.09 शांतीलाल ने पुलिस द्वारा भीमराज से जीप जब्त करने जो फर्द जब्ती प्रदर्श पी6 पर क्रमशः सी से डी व ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त दोनो ही गवाहन ने प्रतिपरीक्षा मे इस तथ्य को सही होना बताया की प्रदर्श पी6 पर हस्ताक्षर थाने पर किये जो इसमे क्या लिखा उसे जानकारी नहीं है और किस मामले मे हस्ताक्षर किये उसे पता नहीं।

16– पी.ड.10 नाहरसिंह ने दिनांक 24.01.2017 को प्रकरण संख्या 10/2017 मे जब्तशुदा जीप जीजे 01 आरजी 4134 का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी9 तैयार करने जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने व जीप चालु हालत मे होकर कोई यांत्रिक खराबी नहीं होने का कथन किया। प्रतिपरीक्षा मे

कथन किया कि प्रदर्श पी09 बाबत उसे मौखीक निर्देश दिया था। वाहन केवल थाने मे चालु करके देखा था।

17– <u>पी.ड.07 डॉ. हरिओम</u> ने दिनांक 19.01.2017 को थाना झाडोल के अनुरोध पर आहत महिमा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 बनाने जिस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होने और आहता के चोट संख्या 01 आधा कटा हुआ बायें पैर का अंगुठा जिसके लिए एक्सरे एडवाइज देने तथा चोट संख्या 02 कुचली हुआ घाव जिसके लिए एक्सरे एडवाइज देने तथा उक्त दोनों चोटें भारी वाहन से कुचली हुआ घ ाव होने और चोटों की अवधि परीक्षण समय से 1 घंटे की भीतर होने का कथन किया। प्रतिपरीक्षा मे इस तथ्य को गलत बताया की कोई व्यक्ति तेज रफ्तार की स्पीड से चल रही मोटरसाईकल से गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव हो। इस तथ्य को सही बताया की यदि आहत पर कोई भारी पत्थर आ जो तो ऐसी चोट आना संभव है।

18– अनुसंधान अधिकारी <u>पी.ड.4 रघुवीर सिंह</u> ने 19.01.2017 को एसएचओ झाडोल शंकरलाल द्वारा प्रार्थी केशुलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 10/2017 धारा 279, 337 भा.दं.सं. दर्ज कर तफतीश उसके हवाले करने तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 पर सी से डी थानाधिकारी शंकरलाल के हस्ताक्षर होना व घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी3 बनाने जिस पर जी से एच उसके व बाकि स्थान पर मौतबिरान के हस्ताक्षर होने और आहत महिमा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल करा आईआर प्रदर्श पी 4 शामिल पत्रावली करने तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी5 होकर एक्सरे में चोट गम्भीर आने पर धारा 338 का इजाफा करने का कथन किया। गवाह ने यह भी कथन किया कि गवाहान केशुलाल, महिमा, कंचन देवी के बयान लेखबद्ध किए। दुघ ार्टना कारित जीप जीजे 01 आरजी 4134 को जरिए फर्द प्रदर्श पी6 के तहत जब्त की जिस पर जी से एच उसके व बाकि स्थानों पर मौतबिरान के हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा जीप के पंजीकृत मालिक कालुलाल को 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जिस पर ए से बी उसके व सी से डी कालुलाल के हस्ताक्षर व ई से एफ उसका जवाब है। वक्त दुर्घटना वाहन भीमराज चला रहा था। भीमराज को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया गया जो प्रदर्श पी8 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी भीमराज के हस्ताक्षर व ई से एफ उसका जवाब है। जब्तशुदा जीप का मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट प्रदर्श पी9 प्राप्त की गई। जब्तशुदा वाहन के आरसी की विहित अवधि समाप्त हो गई थी तथा वाहन का बीमा भी नहीं था। अनुसंधान से भीमराज के विरूद्ध 279, 337, 338, भादस व 39/192, 146/196 एमवी एक्ट तथा वाहन मालिक कालुलाल के विरूद्ध धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट प्रमाणित पाई गई जिस पर पत्रावली एसएचओ साहब को पेश की।

19– आईओ ने प्रतिपरीक्षा मे कथन किया कि यह सही है कि घटनास्थल पर घटना के कोई आलामात मौजुद नहीं थे। यह सही है कि प्रदर्श पी1 मे चालक का नाम अंकीत नहीं है। यह गलत है कि प्रदर्श पी7 पर लिखी ईबारत एक ही हाथ की कलमी हो। यह सही है कि घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह सही है कि घटनास्थल के आसपास के किसी भी व्यक्ति को मौतबीर नहीं बनाया।

20– प्रकरण में अभियुक्त भीमराज के विरूद्ध सुसंगत समय व स्थान पर वाहन जीप क्रमांक जीजे 01 आरजी 4134 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन का संकटापन्न कारित करने और एतद्द्वारा दुर्घटना कारित करना जिससे आहता महिमा को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित होने का आरोप है। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष पर यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने का भार है कि प्रकरण मे जब्तशुदा जीप जीजे 01 आरजी 4134 ही आक्षेपित वाहन है और वक्त दुर्घटना उक्त टैम्पो को अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष पर यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित करने का भार है कि अभियुक्त द्वारा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया जिसके फलस्वरूप आहता को उपहति कारित हुई है।

21– इस संदर्भ मे सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाये की क्या प्रथम सुचना रिपोर्ट अंकीतानुसार दुर्घटना हुई या नहीं तो इस बिन्दु पर प्रार्थी पी.ड.1 केशुलाल ने प्रथम सुचना रिपोर्ट मे अंकीत तथ्यो की ताईद करते हुए दिनांक 19.01.2017 को वह, उसकी पत्नि व पुत्री महिमा झाडोल मे गणेश मंदिर के पास पानी पतासा खाकर वापस घर जा रहे होने व आजाद ग्राउण्ड के पास मैक्स गाडी जिसके पीछे के नंबर 4134 होने, द्वारा पीछे से आकर उसकी बच्ची के टक्कर मार देने जिससे उसकी बच्ची का पैर टुट जाने की साक्ष्य दी है। इसी अनुक्रम मे पी.ड.2 श्रीमती कंचन साक्ष्य मे यद्यपी गाडी नंबर पता नहीं होने परंतु आजाद ग्राउण्ड के पास पीछे से बोलेरो गाडी द्वारा उसकी पुत्री महिमा के टक्कर मार देने जिससे बच्ची के दाहिने पैर का अंगुठा व अंगुली कट जाने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार आहता पी.ड.3 महिमा ने घटना दिनांक को शाम 7 बजे लगभग सफेद कलर की जीप ने पीछे से टक्कर मार देने जिससे उसके बांये पैर का अंगुठा व अंगुली कट जाने की साक्ष्य दी है। उक्त सभी गवाहन की प्रतिपरीक्षा मे सुसंगत समय व स्थान पर मैक्स जीप से प्रार्थी की पुत्री के पीछे से टक्कर लगकर दुर्घटना होने जिससे आहता के बाये पैर का अंगुठा व अंगुली मे उपहति कारित होने का तथ्य अखण्डित रहा है।

22– इसी अनुक्रम मे पी.ड.7 डॉ. हरिओम ने आहता महिमा का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी4 प्रमाणित कराते हुए आहता के चोट संख्या 1 बांये पैर का अंगुठा आधा कटा हुआ होना व चोट संख्या 2 कुचला घाव होने की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षा मे यद्यपी उक्त चोट कोई भारी पत्थर गिर जाने से आना संभव बताया है लेकीन आहता व चश्मदीद की प्रतिपरीक्षा मे ऐसा कोई तथ्य प्रकट

नहीं हुआ कि आहता के कारित चोटे भारी पत्थर गिरने से आई हो। आहता व चश्मदीद ने स्पष्ट रूप से आहता के कारित चोटे जीप द्वारा पीछे से टक्कर लगकर दुर्घटना होने से आना बताया है जो तथ्य प्रतिपरीक्षा मे अखण्डित रहा है।

23– यद्यपी पी.ड.2 कंचन देवी ने गाडी नंबर पता नहीं होने व आहता पी.ड.3 ने गाडी नंबर 3134 होना बताया है लेकीन प्रार्थी पी.ड.1 ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मैक्स गाडी होकर नंबर 4134 होना बताया है। प्रथम सुचना रिपोर्ट मे भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर जीजे 01 आरजी 4134 होना अंकीत है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथमसुचना रिपोर्ट प्रदर्श पी1 मे अंकीतानुसार घटना दिनांक को सुसंगत समय व स्थान पर वाहन जीजे 01 आरजी 4134 से दुर्घटना होना जिससे प्रार्थी की पुत्री महिमा के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी4 मे अंकीतानुसार बाये पैर के अंगुठा विच्देछ होकर गंभीर व साधारण उपहति कारित होना प्रमाणित होता है।

24– प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के संबंध मे अभियोजन पर यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित करने का भार है कि वक्त दुर्घटना उक्त वाहन जीजे 01 आरजी 4134 का चालक अभियुक्त था और अभियुक्त द्वारा आम रोड पर वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया है। इस संबंध साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो प्रार्थी पी.ड.1 केशुलाल ने वाहन के चालक को शक्ल देखकर पहचान सकने का कथन किया और अभिलेख पर पेश मुचलके पर एक्स स्थान पर मुलजिम के फोटो को देखकर चालक की सही पहचान की। चश्मदीद पी.ड.2 ने चालक का नाम नहीं जानने और फोटो देखकर चालक को नहीं पहचान सकना बताया है। प्रतिपरीक्षा मे कथन करती है कि घटना के वक्त अंधेरा हो गया था। आहता पी.ड.3 ने जीप को भीमराज नामक व्यक्ति चला रहा होना बताया है और प्रतिपरीक्षा मे कथन करती है कि एक्सीडेंट के वक्त जीप वाला भाग गया जिसे आगे चलकर पकड लिया तथा जीप के नंबर व चालक का नाम लोग बता रहे थे। इस प्रकार प्रार्थी पी.ड.1 ने अभिलेख पर पेश अभियुक्त के मुचलके को देखकर चालक की पहचान की है परंतु अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की शिनाख्तगी परेड कराई गयी हो। न्यायालय के विनम्र मत मे अभियुक्त की न्यायालय मे प्रथम बार पहचान एक कमजोर प्रकृति की साक्ष्य है। अभियुक्त की न्यायालय मे प्रथम बार पहचान अन्य अनुसर्मथक साक्ष्य के अध्यधीन अनुमत है। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी पी.ड.1 ने साक्ष्य मे मुलजिम को पकडकर पुलिस को सुपुर्द करना बताया है लेकीन प्रथम सुचना रिपोर्ट प्रदर्श पी1 यह तथ्य अंकीत नहीं है कि मौके पर चालक को पकड लिया हो या प्रार्थी या अन्य व्यक्तियो द्वारा चालक का पीछा कर पकडा हो और पुलिस को सुपुर्द किया हो। आहता पी.ड.3 ने प्रतिपरीक्षा मे इस तथ्य को सही बताया की एक्सीडेंट के वक्त जीप चालक भाग गया जिसे आगे चलकर पकड लिया। दुर्घटना के बाद यदि वाहन चालक को प्रार्थी या

अन्य व्यक्तियो द्वारा मौके पर या पीछा कर पकड कर पुलिस को सुपुर्द किया गया होता तो चालक का नाम पता अवश्य पुछा जाता और प्रथम सुचना रिपोर्ट मे उक्त तथ्य का अंकन होता। प्रार्थी का यह कथन नहीं रहा है कि बाद घटना प्रार्थी द्वारा चालक को मौके पर पकड लिया गया हो। आहता पी.ड.3 ने यद्यपी जीप भीमराज नामक व्यक्ति चलाया जा रहा होना बताया है लेकीन प्रतिपरीक्षा मे चालक का नाम मौके पर लोगो द्वारा बताया जा रहा होने कथन किया है। लेकीन अभियोजन द्वारा ऐसे किसी गवाह को पेश नहीं किया है जिसका यह कथन रहा हो कि मौके पर उसके द्वारा चालक को पहचान कर नाम पता बताया हो। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपुर्ण है कि अभियोजन के अनुसार वाहन पीछे की ओर से आया और आहता के टक्कर लगी। प्रार्थी पी.ड. 1 की यह साक्ष्य भी नहीं रही है कि मौके पर बाद घटना वाहन रूका हो और प्रार्थी द्वारा चालक को देखा गया हो और चश्मदीद पी.ड.2 ने प्रतिपरीक्षा मे वक्त घटना अंधेरा हो जाना बताया है। ऐसी स्थिती मे प्रार्थी पी.ड.1 द्वारा चालक की फोटो से पहचान का तथ्य संदिग्ध है। जहां तक धारा 133, 134 एमवी एक्ट के तहत नोटिस के जवाब का प्रश्न है तो जब अभियोजन साक्ष्य से बरवक्त दुर्घटना आक्षेपित वाहन का चालक अभियुक्त होना संदेहास्पद है तो ऐसी स्थिती मे उक्त नोटिस के जवाब जो की मुलभुत साक्ष्य नहीं होकर अनुसर्मथक साक्ष्य है, के आधार पर ही अभियुक्त भीमराज ही वक्त दुर्घटना चालक होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

25— प्रकरण मे वक्त घटना वाहन चालक की उपेक्षा या उतावलेपन के बिन्दु पर विचार किया जाये तो रिपोर्ट प्रदर्श पी1 मे मात्र यह अंकीत है कि वाहन चालक द्वारा गफलत लापरवाहीपुर्वक जीप चला कर बच्ची का एक्सीडेंट कर दिया। लेकीन उस स्थिती या कृत्य के संबंध मे कोई अंकन नहीं है जिससे चालक की वाहन संचालन मे उपेक्षा या लापरवाही कही जा सके। इस संबंध मे प्रार्थी पी.ड.1, चश्मदीद साक्षी पी.ड.2 व आहता पी.ड.3 ने साक्ष्य मे गाडी स्पीड से चल रही होना बताया है तथा प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि गाडी सवारियो से ओवरलोड थी जो चालक से संभल नहीं रही थी। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि वाहन चालक द्वारा सडक के गलत दिशा मे आकर टक्कर मारी हो या आहता सडके के पास फुटपाथ पर चल रही हो और चालक द्वारा वाहन को फुटपाथ पर चढा दिया हो जिससे दुर्घटना हुई हो। न्यायालय के विनम्र मत मे उन तथ्यो और परिस्थिती के प्रमाण के अभाव मे जिनसे चालक की उपेक्षा या लापरवाही प्रमाणित हो, केवल यह कथन की चालक ने वाहन लापरवाही से चलाया, से चालक की उपेक्षा या उतावलापन प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार जहां तक तेज गति से वाहन चलाने का प्रश्न है तो न्यायालय के विनम्र मत में तेज गति एक सापेक्षित तथ्य हैं जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों पर निर्भर करता है। तेज रफ्तार से अपने आप में चालक का उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य नहीं हैं। इस बाबत घटना स्थल,

समय, ट्रैफिक और मौके पर भीड़ आदि यह अवधारित करने के लिए कि उतावलेपन या उपेक्षा थी या नहीं महत्वपूर्ण बातें होती है। प्रकरण मे प्रार्थी, चश्मदीद साक्षी व आहत द्वारा यह नहीं बताया गया है कि वाहन की लगभग क्या स्पीड थी। उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत मे वक्त घटना चालक द्वारा वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

26— जहां तक अभियुक्त भीमराज के विरूद्ध अपराध धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट का प्रश्न है तो जैसा की विवेचन किया गया है कि वक्त घटना अभियुक्त भीमराज ही वाहन जीजे 01 आरजी 4134 का चालक होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है ऐसी स्थिती मे अभियुक्त भीमराज के विरूद्ध धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन जीजे 01 आरजी 4134 ही आक्षेपित वाहन होना प्रमाणित हुआ है। अभियोजन के अनुसार उक्त वाहन अभियुक्त कालुलाल के नाम पंजीकृत होकर वाहन का पंजीकरण घटना दिनांक से पुर्व ही समाप्त हो जाना और वक्त घटना वाहन का वैध बिमा नहीं था। न्यायालय के विनम्र मत मे तत्समय उक्त वाहन वैध रूप से पंजीकृत होकर बीमित होने का तथ्य एक विशिष्ट तथ्य है जिसके सबुत का भार अभियुक्त कालुलाल पर है। अभियुक्त द्वारा इस संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि वाहन जीजे 01 आरजी 4134 घटना दिनांक को वैध रूप से पंजीकृत होकर बीमित हो। जिससे अभियुक्त कालुलाल के विरूद्ध अपराध धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट प्रमाणित होता है।

27— अभिलेख पर पेश समस्त मौखीक व दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्त भीमराज के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट का आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है जिससे अभियुक्त को उक्त अपराध धारा के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित करना न्यायोचित है। अभियुक्त कालुलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट का आरोप संदेह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त कालुलाल को उक्त अपराध के आरोप से दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

—::आदेश::—

28— परिणामतः अभियुक्त भीमराज पिता हुका, उम्र 45 साल, निवासी भीलवाडा फला बिछीवाडा थाना फलासिया जिला उदयपुर (राज.) को आरोपित अपराध 279, 337, 338 भा.दं.सं. तथा धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

अभियुक्त कालुलाल पिता नाना, उम्र 32 साल, निवासी भीलवाडा फला बिछीवाडा थाना फलासियां जिला उदयपुर (राज.) को अपराध धारा धारा 39 / 192, 146 / 196 एमवी एक्ट के आरोप बाबत दोषसिद्ध घोषित किया जाता

है।

अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत पेश जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं।

दण्ड पर सुनवाई :—

29— **अभियुक्त कालुलाल** बाबत अधिवक्ता अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का आरोप नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त को समन मामले मे दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त वर्ष 2017 से अंविक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान एपीओ ने तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्त को समुचित कारावास के दण्डादेश से दण्डित करने का निवेदन किया।

30— उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का एक बार पुन : ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धि का आरोप नहीं है। अभियुक्तग को पूर्व में किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया है एवं पूर्व में कभी परीवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया है, इस बाबत अभियुक्त ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जारी परिपत्र नम्बर 03/पी.आई/2017 दिनांक 6.2.2017 में दिये गये निर्देशों की पालना में स्वंय का शपथपत्र भी पेश किया है। शपथपत्र के आधार पर अभियुक्त का प्रथम अपराध होना प्रकट है। अभियुक्त को धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट के आरोप बाबत दोषसिद्ध घोषित किया है जो समन मामला है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं अभियुक्त के पुर्ववृत, शील को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित नहीं कर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित है।

31— अतः अभियुक्त कालुलाल पिता नाना, उम्र 32 साल, निवासी भीलवाडा फला बिछीवाडा थाना फलासिया जिला उदयपुर (राज.) को दोषसिद्ध अपराध धारा 39/192, 146/196 एमवी एक्ट बाबत तत्काल कारावास से दण्डीत नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का सशर्त लाभ दिया जाकर आदेशीत किया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/— की जमानत व इसी राशि का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे की अभियुक्त —1. एक वर्ष की अवधि के दौरान शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा/रखेंगे,

2. उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा/करेंगे व

3. जब भी न्यायालय तलब करेगा उपस्थित आएगा/आएंगे व आदेशानुसार दण्ड को भुगतने को तैयार रहेगा/रहेंगे।

तो अभियुक्त को उक्त अवधि के लिए परिवीक्षा पर छोडा जावे। इसके अतिरिक्त **अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा**

5(1)(बी) के तहत 700/– अक्षर सात सौ रुपये अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे।

धारा 357–ए दं.प्र.सं./396 बीएनएसएस के तहत प्रतिकर–

32– पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में मोटरयान दुर्घटना में आहत को क्षति हुई है। न्यायालय के विनम्र मत में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मोटरयान के उपयोग से कारित किसी क्षति बाबत प्रतिकर के लिये संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में आवेदन करने का प्रावधान है। जिसके तहत आहत व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अतः उक्त धारा के तहत आहत को प्रतिकर दिलाये जाने बाबत पृथक से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(जफर अहमद कुरेशी)

33– यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व उद्घोषित किया गया।

(जफर अहमद कुरेशी)